

पत्रांक-श्रम क०सं०-36/2026(अंश)-1०१७
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 30,000/- (तीस हजार रुपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना 2024 के अंतर्गत 05 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिका री/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रंजीत राम, 51, मंगर राम, अनु० जाति	अनिता देवी (पत्नी)	915 06.06.2026	ग्राम+पो०-पीरापुर, थाना+प्र०-जन्दाहा, जिला-वैशाली, 7091089392	390144 29016	SBI SBIN001 2562	रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए)	दुर्घटना मृत्यु (सड़क दुर्घटना के कारण) राजमिस्त्री का हेल्पर
2	स्व० सुमित्रा देवी, 49, भोला सदा, अनु० जाति	भोला सदा (पति)	919 06.06.2026	ग्राम+पो०-लोमा, थाना-तिसिऔता, प्र०-जन्दाहा, जिला-वैशाली, 9546580712	367276 61969	SBI SBIN001 2562	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूरी
3	स्व० राजु रजक, 64, कमल बैठा, अनु० जाति	शान्ति देवी (पत्नी)	948 12.06.2026	ग्राम+पो०-जन्दाहा, थाना+प्र०-जन्दाहा, जिला-वैशाली, 7870220725	438189 87431	SBI SBIN001 2562	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कपड़ा रंगाई एवं धुलाई का कार्य
4	स्व० गणेश राम, 58, वतहु राम, अनु० जाति	शांति देवी (पत्नी)	981 15.06.2026	ग्राम-रामदापुर, पो०-सोन्धी, थाना+प्र०-गोरील, जिला-वैशाली, 9268801633	261201 000011 034	IOB IOBA00 02612	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पासीगरी (निरा उम्पादन का कार्य)
5	स्व० विनोद राम, 44, स्व० चन्द्रदीप राम, अनु० जाति	पद्मिनी देवी (पत्नी)	997 19.06.2026	ग्राम-चौहट्टा छिपी टोला, पो०-हाजीपुर, थाना-नगर हाजीपुर, प्र०-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली, 9661123367	403700 170032 7387	PNB PUNB04 03700	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
6	स्व० मनोज राम, 39, स्व० गणेश राम, अनु० जाति	चनया देवी (पत्नी)	999 19.06.2026	ग्राम-चौहट्टा छिपी टोला, पो०-हाजीपुर, थाना-नगर हाजीपुर, प्र०-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली, 9025046676	403700 170036 7215	PNB PUNB04 03700	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर

7	स्व० विनोद दास, 51, स्व० देवनाथ दास, अनु० जाति	रीता देवी (पत्नी)	1001 19.06.2026	ग्राम-दौलतपुर देवरिया, पो०-शुमई, थाना-प्र०-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली 9241440858	799901 000004 11	BOB BARBOV JHAJI	रु० 30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेलपर
---	--	-------------------	--------------------	--	------------------------	------------------------	---------------------------------	--

कुल राशि :-रु० 4,80,000/-
(चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

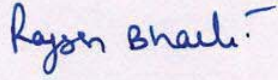
(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-36/2026(अंश)-1097 पटना, दिनांक :- ११/०९/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रु० 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटीओ मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


18/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक